भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1687

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

1687. श्री बिभु प्रसाद तराई:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अपनी सावधि ऋण और सूक्ष्म वित्त योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और संवितरित राशि और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएमडीएफसी के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बीच वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत कवरेज और वित्तीय सहायता का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) है। यह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पात्र लाभार्थियों को स्व-रोजगार तथा आय-सृजन संबंधी गतिविधियों हेतु रियायती ऋण प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 (दिनांक 21.07.2026 तक) के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने अपनी सावधि ऋण तथा सूक्ष्म वित्त योजनाओं के अंतर्गत 52,202 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 236.04 करोड़ रुपए की रियायती ऋण राशि संवितरित की है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

राशि करोड़ रुपए में

सूक्ष्म ऋण		**सावधि ऋण**		**कुल**	
राशि	**लाभार्थी**	**राशि**	**लाभार्थी**	**राशि**	**लाभार्थी**
119.00	44529	117.04	7673	236.04	52202

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायती ऋण सहायता विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका एवं उद्यमिता से संबंधित व्यापक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करती है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं—

- लघु व्यापार एवं सूक्ष्म उद्यम
- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ
- कारीगर एवं पारंपरिक व्यवसाय
- परिवहन एवं सेवा क्षेत्र
- तकनीकी व्यवसाय (ट्रेड्स) तथा अन्य आय-सृजन संबंधी गतिविधियाँ

(ग) एवं (घ): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच वित्तीय समावेशन, उद्यमिता तथा स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

i. सावधि ऋण तथा सूक्ष्म ऋण योजनाओं के अंतर्गत रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना।
ii. उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराना।
iii. विभिन्न क्षेत्रों में स्व-रोजगार तथा सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना।
iv. राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, स्वयं सहायता समूहों तथा भागीदार संस्थाओं के माध्यम से योजना की पहुँच का विस्तार करना।
v. योजनाओं तक अधिकाधिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
vi. लक्षित उपायों के माध्यम से महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना।

इन प्रयासों के अंतर्गत, दुगुनी गरीबी रेखा श्रेणी के तहत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को वर्ष 2024 में 3.00 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया, जिससे पात्र लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी की योजनाओं के अंतर्गत क्रेडिट लाइन–II के तहत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को वर्ष 2020 में 6.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपए कर दिया गया, जिससे रियायती वित्तीय सहायता तक अधिक व्यापक पहुँच सुनिश्चित हुई।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के कार्य-निष्पादन, प्रभावशीलता तथा पहुँच की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। एनएमडीएफसी की योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए बेहतर जागरूकता सृजन, कार्यान्वयन एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, भौगोलिक पहुँच के विस्तार तथा पात्र लाभार्थियों की अधिकाधिक भागीदारी के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने अपनी रियायती ऋण योजनाओं की प्रभावी प्रदायगी को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, नामत: केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियाँ कार्यात्मक नहीं हैं अथवा निष्क्रिय हैं, वहाँ पुनर्वित्त मॉडल के अंतर्गत इन भागीदार बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे पात्र अल्पसंख्यक लाभार्थियों तक ऋण सुविधाओं की निर्बाध सुविधा तथा रियायती ऋण योजनाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित होती है।
